न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः—53 / 2022(जीसीएमएस नम्बर 2022 / 178)

1. धर्मपाल पुत्र नहनूराम,
2. राजेन्द्र पुत्र नहनूराम,
3. श्रीया पुत्र नहनूराम, समस्त जाति गुर्जर निवासी झरना, तहसील बहरावण्डा, जिला दौसा।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामकरण पुत्र सोनपाल,
2. रामखिलाड़ी पुत्र सोनपाल,
3. हंसराज पुत्र लक्षमण,
4. कल्लोदेवी पत्नि लक्षमण समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम झरना तहसील बहरावण्ड़ा जिला दौसा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

——रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. श्री सी0एल0मीना एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री हेमराज गुर्जर, एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक 30.01.2024

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.06.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.06.2022 विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया एवं न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है क्योंकि अपीलान्ट व अन्य सहखातेदारान आराजी खाता संख्या 120 नया व पुराना 115 की भूमि खसरा नम्बर 384 लगायत 393 खसरा नम्बर 68, खसरा नम्बर 69 कुल किता 12 कुल रकबा 6.7400 हैक्टयर एवं भूमि खाता संख्या 83 नया पुराना 78 की भूमि खसरा नम्बर 408 लगायत 414 कुल कुल किता 7 कुल रकबा 1.0300 हैक्टयर वाके ग्राम झरना तहसील बहरावण्डा के रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है जिनके हिस्से भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट के हक, हिस्से की उक्त वर्णित आराजी के लगती हुई रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी की भूमि है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की नियत में बेईमानी है तथा वे अपीलान्ट की भूमि को हड़पने पर आमादा है एवं इसी उद्देश्य की पूर्ति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने आपसी मिलीभगत करते हुए गलत सीमा विवाद बताकर बिना अपीलान्ट व अन्य सहखातेदारान को पक्षकारान बनाये बगैर गुपचुप में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का

P.T.O.

पेश कर उसे गुपचुप में स्वयं के हक में निर्णित करवा लिया तथा अब वे उक्त निर्णय की आड में अपीलान्ट की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने को प्रयासरत है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि कानूनन पत्थरगढ़ी की कार्यवाही के लिऐ पड़ौसी खातेदारान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक होता है जिसकी अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.06.2021 पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट प्रकरण में एग्रीव्ड परसन है जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा जानबुझकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही बनाया एंव निर्णय दिनांक 15.06.2022 अपीलान्ट की पीठ पीछे पारित करवाया है जिससे अपीलान्ट पीड़ित पक्षकार हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.06.2022 की आड में अपीलान्ट की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। ऐसी सूरत में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.06.2022 को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवायी गयी है जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी को किसी प्रकार का एतराज करने का कानूनी अधिकार नही है तथा रेस्पोडेन्ट की आराजी का दिनांक 24.06.2022 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के अपीलाधीन आदेश की पालना में गठित टीम द्वारा पुलिस जाप्ता की उपस्थित में रेस्पोडेन्ट की आराजी की पत्थरगढ़ी की जा चुकी है तथा यदि अपीलार्थीगण भी अपनी आराजी की पत्थरगढी करवाते है तो रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रत्येक खातेदार काश्तकार को अपनी आराजी व फसल की सुरक्षा हेतु अपनी आराजी का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाने के अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं भू राजस्व अधिनियम में प्रदत्त किये हुए है तथा हस्तगत प्रकरण में आराजी खसरा नम्बर 399, 400, 401, 402, 403, एवं 405 वाके ग्राम झरना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा रेस्पोडेन्ट्स की उक्त आराजी की ही पत्थरगढ़ी के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थीगण को किसी प्रकार के उज्रात करने का कानूनन अधिकार अपीलार्थीगण को प्रदत्त नही है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.06.2022 की पालना में गठित टीम द्वारा पुलिस जाप्ता की उपस्थिति में दिनांक 24.06.2022 को पत्थरगढ़ी भी करायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलार्थीगण खारिज योग्य है।

P.T.O.

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.06.2022 को यथावत रखा जाता है। यदि अपीलार्थीगण भी अपनी आराजी का नियमानुसार सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाना चाहे तो इसके लिये वे स्वतंत्र है।

(असलम शेर खान)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/1/24

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।